प्रेस नोट

दिनाँक 17.03.2026

जनपद – संतकबीरनगर

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें में अभियुक्त को 02 माह का कारावास व 1400 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 17.03.2026 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को 02 माह कारावास व 1400 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री जय प्रकाश दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी खेवसिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 15.03.2009 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्त स्वामीनाथ पुत्र मीना निवासी खेवसिया थाना धनघटा के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने तहरीर के आधार पर थाना धनघटा पर एनसीआर पंजीकृत कर उ0नि0 श्री घनश्याम शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 66/2009 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 01 माह का कारावास व 400 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, धारा 504 भा0द0वि0 में 01 माह 15 दिवस का कारावास व 400 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भा0द0वि0 में 02 माह का कारावास व 600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एसिड अटैक के मामलें में वांछित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 82/2026 धारा 124(1), 352, 351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. गुलाम हुसेन पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मोहल्ला पठान टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. मंसूर आलम पुत्र गुलाम निवासी मोहल्ला पठान टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 03. मसकूर आलम पुत्र गुलाम हुसेन निवासी मोहल्ला पठान टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बौरब्यास चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी आसमा खातुन पुत्री मो0 यासीन निवासी मोहल्ला पठान टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनाँक 16.03.2026 मुर्गी द्वारा दरवाजे पर बीट करने की बात लेकर विवाद तथा एसिड फेंक देने प्रार्थना पत्र देकर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 17.03.2026 को उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 आदित्य यादव, हे0का0 अनिल सिंह, का0 राजन खरवार।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्रा* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0स0 89/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त नाम पता आदित्य शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी छरांछ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 17.03.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि आज दिनांक 17.03.2026 को थाना महुली पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान दिक्तौली नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल फोन तथा 01 अदद मोटरसाइकिल (नंबर UP 58 AL 0752) बरामद किया गया।

☐ *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-*

आदित्य शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी छरांछ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

☐ *बरामदगी का विवरण:-*

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

01 अदद मोबाइल फोन

01 अदद मोटरसाइकिल (UP 58 AL 0752)

☐ *पुलिस टीम का विवरण:-* उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, उ0नि0 श्री अजीत सिंह, का0 अरविन्द यादव, का0 राजमंगल यादव, का0 सुनील कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 268 वाहनों से 2,94,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 17.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 268 वाहनों से 2,94,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी के मामलें में 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मेंहदावल ***श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 88 / 2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 01. सहजाद उर्फ मेराज पुत्र अनवर हुसैन 02. किशन पुत्र राम सजन निवासीगण रामनगर केवटलिया थाना कैम्पिरगंज जनपद गोरखपुर को चोरी के 01 अदद मोबाइल के साथ बढ़या ठाठर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 88 / 2026 मे धारा 3(5),112, 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

विदित हो कि उक्त प्रकरण में वादी श्री विवेक यादव पुत्र श्री चन्द्रिका यादव निवासी बढ़या ठाठर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल में पर दिनाँक 15.03.2026 को वादी के फल की दुकान काउन्टर पर रखी मोबाइल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मेंहदावल पर मु0अ0सं0 88/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. सहजाद उर्फ मेराज पुत्र अनवर हुसैन निवासी रामनगर केवटलिया थाना कैम्पिरगंज जनपद गोरखपुर।
02. किशन पुत्र राम सजन निवासी रामनगर केवटलिया थाना कैम्पिरगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरणः-

01. 01 अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 अरूण कुमार, हे0का0 सुरेन सिंह, हे0का0 रामरतन तिवारी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप युवती से दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 6500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.03.2026 को *माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा 01 अभियुक्त को **05 वर्ष का सश्रम कारावास व 6500 रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा पूनम पत्नी स्व0 भीखू हरिजन निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 27.09.2014 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्त वासुदेव पुत्र पारस केवट निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध रात्रि में वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आधार पर थाना धनघटा में मु0अ0सं0 925/2014 पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी श्री आर के शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

विवरणः-

मु0अ0सं0 925/2014 धारा 376/511,354,354क भादवि 3(2)(X), 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त वासुदेव पुत्र पारस केवट निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 354क/354ख/376(3) भादवि तहत दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा 3(2)(v), 3(1)w(i)(ii) एससी/एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त वासुदेव को धारा 376/511 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 354(क) भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा एवं धारा 506 भादवी के अन्तर्गत 06 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।